संख्या-154/2015/3580/41-2015-159 यो0/15

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 18 नवम्बर, 2015

विषय- हेरिटेज गोल्डेन आर्क योजनान्तर्गत प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों, लायन सफारी एवं वर्ल्ड सेन्च्युरी में साइनेज बोर्ड लगाये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-1483/6/1/1 (617) 2015, दिनॉक 02-11-2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों, लायन सफारी एवं वर्ल्ड सेन्च्यूरी में साइनेज बोर्ड लगाये जाने हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा गठित आगणन का लोक निर्माण विभाग के परीक्षणोपरान्त धनराशि रू0 282.12 लाख (रू0 दो करोड. बयासी लाख बारह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 124/2015/2040/41-2015-159 यो0/15, दिनांक 02-09-2015 द्वारा प्रदान की गयी है।

3- महानिदेशक, पर्यटन द्वारा हेरिटेज गोल्डेन आर्क योजनान्तर्गत प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों, लायन सफारी एवं वर्ल्ड सेन्च्युरी में साइनेज बोर्ड लगाये जाने हेतु रू0 298.40 लाख का आगणन प्रेषित किया गया था, जिसके सापेक्ष परीक्षणोपरान्त रू0 282.12 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी, लेकिन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा प्रश्नगत योजना का पुन: परीक्षण लोक निर्माण विभाग से कराया गया तथा यह अवगत कराया गया कि **MORTH Specification 802** के आधार पर परीक्षण कर ओवरहेड साइनेज के दर विश्लेषण के श्रमिक दरों को वर्तमान शेड्यूल ऑफ रेट के आधार पर मद संख्या (डी) ओवर हेड चार्ज को **MORTH** प्राविधानित 10 प्रतिशत के आधार पर गणना की गयी है, जिसके अनुसार पूर्व में प्रेषित आगणन धनराशि रू0 298.23 लाख के सापेक्ष रू0 296.23 लाख की धनराशि आंकलित की गयी है।

4- अत: महानिदेशक, पर्यटन द्वारा प्रश्नगत योजना हेतु उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित उक्त प्रस्ताव के क्रम में आंकलित लागत रू0 296.23 लाख में से शासनादेश सं0 124/2015/2040/41-2015-159 यो0/15, दिनांक 02-09-2015 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 282.12 लाख को घटाकर रू0 14.11 लाख अवशेष धनराशि होती है। अत: उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत योजना हेतु रू0 296.23 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं अवशेष धनराशि रू0 14.11 लाख की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं -

http://shasanadesh.up.nic.in

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि की आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
3. कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5. यह सुनिश्चत किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।
6. योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की फोटोग्राफी कराकर तत्काल उपलब्ध करायी जाये जिससे प्रगति के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके।

(3) उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-06-हेरिटेज गोल्डेन आर्क योजना लखनऊ-0603-साइनेज की व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(4) यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30-03-2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-154/2015/3580/41-2015 (1)/41-2015 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।
7- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, लखनऊ/कानपुर मण्डल ।
8- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
9- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)

http://shasanadesh.up.nic.in

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in